



रजि. नं. ए.ए. डब्ल्यू/ए.ए. 25, 898

साइसंस्क नं० डब्ल्यू पी०-41

साइसंस्क टू कॉस्ट एट कन्सिडरेशन रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, रविवार, 11 अप्रैल, 1999

चैत्र 21, 1921 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग--1

संख्या 903/सत्रह-वि-1-1 (क) 19-1999

लखनऊ, 11 अप्रैल, 1999

### अधिसूचना

विषय

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश आचकारी (संशोधन) विधेयक, 1999 पर दिनांक 9 अप्रैल, 1999 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1999 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनाई हस्त अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश आचकारी (संशोधन) अधिनियम, 1999

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1999)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

संयुक्त प्राप्त आचकारी अधिनियम, 1910 का अन्तर्गत संशोधन करने के लिये अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

- 1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आचकारी (संशोधन) अधिनियम, 1999 कहा संक्षिप्त नाम जायेगा। एवं प्रारम्भ
- (2) यह पहली अप्रैल 1999 को प्रवृत्त होगा।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910 की धारा 28 का संशोधन

2--संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 28 में, उपधारा (3) में शब्द (ए), (सी), (डी) और (ई) में, सारणी में, मद 2 (ए) के सामने आये हुए शब्द और अंक "पाँच रुपये प्रति लीटर" के स्थान पर शब्द और अंक "पन्द्रह रुपये प्रति लीटर" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,  
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,  
प्रमुख सचिव।

No. 903 (2)/XVII-V-1-1(KA)-19-1999

Dated Lucknow, April 11, 1999

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Abakary (Sanshodhan) Adhiniyam, 1999 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 22 of 1999) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 9, 1999.

THE UTTAR PRADESH EXCISE (AMENDMENT) ACT, 1999  
(U.P. ACT NO. 22 OF 1999)  
[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN  
ACT

Further to amend the United Provinces Excise Act, 1910.

IT IS HEREBY enacted in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Excise (Amendment) Act, 1999.

(2) It shall come into force on April 1, 1999.

Amendment of section 28 of U. P. Act no. 4 of 1910

2. In section 28 of the United Provinces Excise Act, 1910, in subsection (3), in each of the clauses (a), (c), (d) and (e) for the figure and words "Rs. 5 per litre" occurring against item 2 (a) in the table, the figure and words "Rs. 15 per litre" shall be substituted.

By order,  
Y. R. TRIPATHI,  
Pramukh Sachiv.